शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

साइबर क्राइम की २१वीं शताब्दी में एक नई चुनौती

डॉ० अजय भूपेन्द्र जायसवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर,

डॉ० ए०एस० भटनागर
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

# साइबर क्राइम की २१वीं शताब्दी में एक नई चुनौती

**डॉ० अजय भूपेन्द्र जायसवाल**

**डॉ० ए०एस० भटनागर**

सूचना प्रौद्योगिकी संचार का जादुई माध्यम है। इसकी पहुँच जगत नियंता के समान सभी जगह और जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी के लिए है, अर्थात् इंटरनेट का माध्यम व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा, चाहे वह क्षेत्र सूचना का हो, व्यापार का हो, अपराध का हो, मनोरंजन का हो, या सेक्स का हो। सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम इतना व्यापक है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है यह सभी जगह उपलब्ध है। अग्नि और पहिये के आविष्कार ने मानव जीवन को जितना सशक्त बनाया उतना ही व्यापक परिवर्तन मानव जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी अपने अभिसारी रूप से सूचना प्रसार के विभिन्न विधियों को सम्मिलित करता हैं, जैसे- प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, मोबाइल, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट।

साइबर का सामान्य अर्थ कम्प्यूटर, इन्टरनेट और उससे संलग्न उपकरणों के प्रयोग से मनचाही जानकारी (सूचना) प्राप्त कराने वाला उपकरण या मार्ग है। वैज्ञानिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो साइबर एक काल्पनिक माध्यम है जिससे गुजरकर वह तमाम जानकारी, जो हम चाहते हैं इंटरनेट व कम्प्यूटर उपकरणों का प्रयोग करते हुए हम तक पहुँचती हैं। कम्प्यूटर और इंटरनेट के सामंजस्य से मनचाही जानकारी जिस माध्यम से हम तक पहुँचती हैं, वह अंतरिक्ष में एक काल्पनिक स्पेस (खाली जगह) से होकर गुजरती हुयी हम तक पलक झपकते पहुँचती है। यह काल्पनिक जगह साइबर स्पेस कहलाती है। जिसको हम बोलचाल में साइबर कहते हैं और इसका जब दुरूपयोग होता है तब उसे साइबर क्राइम की संज्ञा दे दी जाती है और उस अपराध को जिस कानून में परिभाषित किया जाता है उसे साइबर लॉ कहा जाता है। जिस माध्यम से यह साइबर तंत्र संचालित होता हैं, उसे साइबरनेटिक्स कहते हैं।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ए0सी0एल0यू0 बनाम रेबों में साइबर स्पेस की प्रकृति की वर्णन इस प्रकार किया है:-

''कोई भी व्यक्ति जो इण्टरनेट तक पहुँच सकता है वह संचार एवं सूचना की विस्तृत विधियों का लाभ उठा सकता है। इन विधियों को निश्चित प्रकारों में विभाजित करना कठिन है। लेकिन, वर्तमान में इनको मुख्य रूप से इलेक्ट्रानिक मेल, न्यूज ग्रुप्स, चैट रूम्स और वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है। इन सभी का प्रयोग किसी विषय, आवाज (वक्तव्य), तस्वीर एवं चलचित्र के प्रसारण हेतु किया जा सकता है। इन सभी को अगर साथ-साथ मिलाया जाये तो एक अद्भुत माध्यम तैयार होता है- जो (साइबर स्पेस) के नाम से जाना जाता है। जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है बल्कि जो संसार में इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी तथा किसी की भी पहुँच में है।''

प्रौद्योगिकी का उपयोग जितना मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए अर्थात सृजन और विकास के लिए किया जा सकता है उतना ही मानवता को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भी यह नियम लागू होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ साइबर क्राइम का उदय हुआ, जो अपराधशस्त्र में एक नये अध्याय को जन्म दिया। साइबर क्राइम में अपराधिक गतिविधि और विधि विरूद्ध कार्य जो कम्प्यूटर से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित किया जा सकता है।

कम्प्यूटर मिसयुज एक्ट-1990 यू0के0[1] के द्वारा साइबर क्राइम के श्रोत को परिभाषित किया गया है-

1. जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कम्प्यूटर प्रोग्राम या डाटा में पहुँचता है या पहुँचने का प्रयास करता है।
2. जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कम्प्यूटर के संरक्षित डाटा से कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन करता है।
3. जब कोई व्यक्ति नेटवर्क के संचार प्रणाली को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है।

यूरोपियन साइबर क्राइम ट्रीटी काउंसिल के अनुसार-

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

साइबर क्राइम की २१वीं शताब्दी में एक नई चुनौती

डॉ० अजय भूपेन्द्र जायसवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर,

डॉ० ए०एस० भटनागर
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

''साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो डेटा एवं कापीराइट के विरूद्ध की गयी अपराधिक गतिविधि है।''

कम्प्यूटर विज्ञानी जेवियर गीज के अनुसार-

''साइबर क्राइम कम्प्यूटर और इन्टरनेट के माध्यम से होने वाला अपराध है जिसके अन्तर्गत जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टाकिंग शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के कम्प्यूटर क्राइम कंट्रोल एण्ड प्रिवेंशन मेनुअल के अनुसार जालसाजी, ठगी और अनाधिकृत प्रवेश को साइबर क्राइम की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कम्प्यूटर इंटरनेट नेटवर्क एवं हाईवेयर तथा उससे संबंधित उपकरणों यथा स्कैनर, प्रिंटर आदि का उपयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम वह अवैधानिक कार्य हैं जिसमें कम्प्यूटर या तो औजार (Tool) की तरह या लक्ष्य (Target) की तरह प्रयोग होता है अथवा दोनो हीं तरह के प्रयोग होता है।

साइबर अपराध के अन्तर्गत परम्परागत और गैर परम्परागत दोनों तरह के अपराध किए जा सकते हैं। परम्परागत अपराध का आशय ऐसे अपराध से है जो सूचना प्रौद्योगिकी के पहले भी होते थे और जो अब कम्प्यूटर नेटवर्क में माध्यम से होते हैं। गैर परम्परागत अपराध सूचना प्रौद्योगिकी के आविष्कार के साथ शुरू हुआ।

इनको इस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

**साइबर क्राइम**

**(अ) परंपरागत अपराध:**

1. कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा वित्तीय अपराध
2. साइबर पोरनोग्राफी (अश्लीलता)
3. ऑन लाइल गैम्बलिग (जुआ)
4. बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धित अपराध
5. कपट
6. मानहानि
7. कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से धमकी

**(ब) गैर पराम्परागत अपराध**

1. ई-मेल स्पूफिंग
2. बेव डिफेसमेन्ट (नष्ट कर देना)
3. ई-मेल बूमलिंग
4. वायरस/वार्म अटैक (हमला)

| धारा | अपराध | दण्ड |
|---|---|---|
| 65 | कम्प्यूटर स्त्रेत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप | 3 वर्ष तक कारवास/2 लाख तक जुर्मना या दोनो |
| 66 | कम्प्यूटर सिस्टम को काटना | 3 वर्ष तक का कैद/एक लाख जुर्मना या दोनो |
| 67 | अश्लील सूचना को प्रसारित (परिनोग्राफी) करना। | 10 वर्ष तक कैद/20 लाख जुर्मना या दोनो |
| 68 | कन्ट्रोलर के आदेश द्वारा प्रमाणन प्रधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी कार्यवाहियाँ पर कार्यवाही | 3 वर्ष तक के कारावास या दो लाख का जुर्माना या दोनो |

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

साइबर क्राइम की २१वीं शताब्दी में एक नई चुनौती

डॉ० अजय भूपेन्द्र जायसवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर,

डॉ० ए०एस० भटनागर
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

| | | |
|---|---|---|
| | करने अथवा रोकने के आदेश पालन करने में असफल रहता है। | |
| 69 | कम्प्यूटर स्त्रेत का भार साधाक कोई व्यक्ति जब धाारा-69(1) के अधाीन बुलाया जाता है तो वह सूचना की बुराईयों को दूर करने में उसे सभी सुविधाायें और तकनीक सहायता देने में असफलता | 7 वर्ष तक कारावास |
| 70 | जो कोई संरक्षित व्यवस्था तक पहुँचेगा या पहुँचने का प्रयत्न करेगा। | 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। |
| 71 | जो कोई कन्ट्रोलर अथवा प्रमाणन अधिकारी से लाइसेंस अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दुव्यापदेशन करेगा अथवा किसी तथ्य को दिखायेगा। | 3 वर्ष तक की कैद और एक लाख तक का जुर्माना |
| 72 | जो कोई गोपनीय और एकान्तता को भंग करेगा। | 3 वर्ष तक कारावास और एक लाख का जुर्माना या दोनो |
| 73 | कोई भी व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र गलत विशिष्टियों से प्रकाशित करेगा। | दो वर्ष तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना से दण्डत: किया जायेगा। |
| 74 | डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कपट करने के प्रयोजन से प्रकाशित करना। | दो वर्ष तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना |
| 43 | कम्प्यूटर, कम्प्यूटर तंत्र की नुकसानी के लिए शासित | 1 करोड़ तक |
| 44 (क) | कोई दस्तावेज अथवा रिपोर्ट प्रमाणन अधिकारी के देने में असफलता | 1,50,000/- |
| 44 (ख) | विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कोई सूचना पुस्तिका या अथवा दस्तावेज दिये जाने में असफल रहता है। | 5000/- असफलता के प्रत्येक दिन के लिए |
| 44 (ग) | यदि स्त्रेत या स्त्रेत का रिकार्ड रखने असफलता | 100000 प्रति दिन |
| 45 | जो कोई किन्हीं नियमों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करता है। जिसके लिए शास्ति पृथक रूप से उपबंधित नहीं है वह ऐसे उल्लंघन के लिए प्रतिकार | 25000 तक भुगतान करने का जिम्मेदार होना। |

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

साइबर क्राइम की २१वीं शताब्दी में एक नई चुनौती

डॉ० अजय भूपेन्द्र जायसवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर,

डॉ० ए०एस० भटनागर
विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, वी०एस०एस०डी० कालेज, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

www.shodh.net

5. इन्टरनेट टाइमिंग थीफ (समय की चोरी)
6. बेव जैकिंग (बेव पर कब्जा)

साइबर क्राइम को व्यापक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।[2]
1. व्यक्ति के विरूद्धः- ई-मेल स्पूफिग, कम्प्यूटर नेवटर्क के माध्यम से धमकी, कपट, मानहानि के द्वारा, 2. व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरूद्धः- वायरस / वार्म अटैक, वेब जैकिंग, (वेब पर कब्जा), बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी अपराध, 3.संगठन के विरूद्धः-अनाधिकृत रूप से कम्प्यूटर सिस्टम पर कब्जा करना (हैकिंग), साइबर आतंकवाद, अनाधिकृत रूप से साफ्टवेयर का वितरण।, 4. सम्पूर्ण समाज के विरूद्धः-साइबर पोरनोग्राफी, आर्थिक अपराध, अनाधिकृत रूप से आर्टिकल को बेचना, ऑन-लाइन, गैम्बलिंग।

साइबर क्राइम के बढ़ते चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000[3] पारित किया, सूचना प्रौद्योगिकी अधि0 में साइबर क्राइम की परिभाषा और उसके लिए समुचित दण्ड की व्यवस्था की है जो पुर्वपृष्ठ पर दिया गया है।

साइबर अपराधों के रूप में हमारे समाज को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए न तो पर्याप्त कानून हैं, न तफ्तीश की उचित तकनीक और न ही उनको लागू करने वाले प्रशिक्षित लोग। दिल्ली के छात्रों का मामला तो संयोग से प्रकाश में आ गया। उनकी अश्लील हरकतों को यदि वेबसाइट पर खरीद-फरोख्त के लिए नहीं रखा गया होता, तो शायद ही यह मामला सबके सामने आ पाता। अपराधियों को इसमें गोपनीयता का सुरक्षा कवच स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिसे भेदना अत्यंत कठिन होता है। वे न केवल अश्लील सूचनाओं का संगठित व्यापार कर रहें हैं, बल्कि धड़ल्ले से दूसरों के बैंक खातों से रूपये भी उड़ा रहे हैं और इस तरह के दूसरे अन्य अपराध कर रहें हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

उपरोक्त प्रकार के साइबर क्राइम परम्परागत अपराधिक न्याय प्रशासन के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनौती हमेशा विकास और समस्या समाधान के लिए प्रेरित करती है न्याय प्रशासन को भी इस चुनौती से निपटने के लिए अपने को तकनीक रूप से सक्षम बनना होगा और न्याय प्रशासन के सभी अंग चाहें पुलिस, अभियोजन, न्यायालय और जेल में अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीक रूप से सक्षम बनना होगा तभी वे इस नयी समस्या का सामना कर पायेगें।

**सन्दर्भ-**

**1.** रोडने डी0 राइडर, गाइड टू साइबर लॉ, वाधवा, 2005 **2.** वर्मा एस0के0 एवं मित्तल, लीगल डाइमेन्सन ऑफ साइबर स्पेस, इन्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, 2004, **3.** सिंह, यतीन्द्र, साइबर लॉ, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेसन्स, दिल्ली, 2003, **4.** शर्मा, डॉ0 एस0सी0 न्यायदीप, पृष्ठ 82-114, 2008, टडी टू टेक्नो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम एण्ड साइबर लॉ लेजिस्लेसन, **5.** इन्फारमेशन एक्ट, 2000